

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती मेशा बनाम श्री पप्पू (गौरा)

दिवस मुकदमा प्रा.पञ 111-128 नं 105 दल 2021

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकान जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

27-7-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें । पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल

27-8-21

उभय पक्ष उपखण्ड पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 27-8-21 को पेश हो ।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

10-12-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अभियान 2021 के मय ग्राम पंचायत मेजा मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन वाद शामिल होकर प्राप्त हुए एवं तदुत्तर मांडल को रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प किया गया। प्रार्थना का उत्तर पत्र लकीर लिखा जाकर विपक्ष पक्ष से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कफ हो

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 105/21

1- श्रीमती मंशा 10 की कुब्जकाबाल कालान गिराणी- ~~पटवार~~ मेजा क. मांडल --प्रार्थी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

बनाम

1- श्री पण्डु 10 श्री कास्तु माली गिराणी- प्युवरनेडा क. मांडल (कौशा)   
 (सर्वका 9) प. मंशा 1) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 10-12-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम..... मेजा .....पटवार हल्का..... मेजा .....तहसील मांडल/में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नं. 2885/1125 .....कुल किता ..... 01 .....रकबा..... 0.5059 .....हेक्टेयर..... - .....स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.7.21 .....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... मेजा .....पटवार हल्का..... मेजा .....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2885/1125 .....कुल किता ..... 01 .....रकबा 0.5059 ..... हेक्टेयर..... -

भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मेजा .....को ..... 500/- .....रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, मांडल

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021